भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

राजस्व न्यायालय

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई बाद टिप्पणी तारीख साथ
08.08.2017	अभिलेख उपस्थापित।	

आवेदक आनन्द मुकूल सिंह, पिता– स्व० रामबचन सिंह, सा०– थाना रोड वार्ड नं०– 08, थाना– चक्रधरपुर, जिला– प० सिंहभूम अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। आवेदक के द्वारा दिनांक 08.07.2016 को अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के समक्ष निम्न विवरण अंकित भूमि का नामान्तरण करने हेतु आवेदन दिया गया था।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा
वार्ड नं०–06	68	220	04	0.05.06

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के द्वारा वाद संख्या 05/2016–17 को प्रारम्भ करते हुए अंचल निरीक्षक एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी के माध्यम से प्रतिवेदन की मांग की गई। राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के माध्यम से आवेदित भूमि के संबंध में अपना प्रतिवेदन दिनांक 14.05. 2016 को अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेखित किया गया कि मूल रैयत सी०एन०टी० एक्ट के सेक्सन–46 के तहत आते है। पूर्व में खतियानी रैयत द्वारा श्री मनीप कुमार गुप्ता, पिता– स्व० अशोक कुमार गुप्ता को भूमि विक्रय किया गया था और पूर्व विक्रीनामा के आधार पर अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के द्वारा नामान्तरण वाद संख्या 367/11–12(1) मनीप कुमार गुप्ता, पिता– अशोक कुमार गुप्ता (2) श्री मुकेश कुमार गुप्ता, पिता– देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवासी चक्रधरपुर वार्ड संख्या– 06 थाना– चक्रधरपुर, जिला– प० सिंहभूम के नाम से करते हुए दिनांक 13.10.2011 को शुद्धि–पत्र निर्गत किया गया और उक्त नामान्तरण के आधार पर वर्ष 2015 एवं 2016 तक राजस्व लगान रसीद भी निर्गत है। सी०एन०टी० एक्ट के धारा–71(1) के तहत अनुसूचित जनजाति को भू वापसी का प्रावधान है।

प्रस्तुत अपील नामान्तरण से संबंधित है। विक्रेता श्री मनीप कुमार गुप्ता, पिता– अशोक कुमार गुप्ता, श्री मुकेश कुमार गुप्ता पिता– श्री देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता, पंजी–II रैयत है। इनके द्वारा निबंधित कवाला संख्या 60/59 दिनांक 03.09.2016 द्वारा क्रेता श्री आनंद मुकूल सिंह, पिता– स्व० रामबचन सिंह, ग्राम– थाना रोड संख्या 08 चक्रधरपुर का जमीन चक्रधरपुर पर्षद के वार्ड नं० 06, राजस्व थाना नं० 62, खाता संख्या–220, केसरा–04, रकवा– 0.05.046 एकड़ का हस्तान्तरण किया गया है। इस संबंध में अंचल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि (1) पंजी– II रैयत (विक्रेता) CNT के तहत नहीं है, (2) पंजी– II रैयत को बिक्री के पूर्व CNT के तहत बिक्री अनुमति नहीं लेना था। (3) वर्तमान पंजी– II रैयत/(विक्रेता) का नाम पंजी– II के पृष्ट संख्या 172 Volume No. III में (1) श्री मनीप कुमार गुप्ता, पिता– अशोक कुमार गुप्ता, (2) श्री मुकेश कुमार गुप्ता पिता– देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता के नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 650 (डी०) दिनांक 31.07.2017 के जाँच प्रतिवेदन के द्वारा नामान्तरण स्वीकृत करने की अनुशंसा किये हैं।

उपरोक्त सारे तथ्यों पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त राजस्व संग्रहण के मद्देनजर नामान्तरण अपील को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे राजस्व अभिलेख में आवश्यक सुधार करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में रसीद निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर) 8.8.17

अनुमण्डल पदाधिकारी

सह

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता

पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

आदेश की प्रति ... अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को ... आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 8.8.17

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

पोड़ाहाट, चक्रधरपुर